भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1058
बुधवार, 28 जुलाई, 2021/06 श्रावण, 1943 (शक)

कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के कारण बेरोजगारी

1058. श्री दिग्विजय सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 8 नवम्बर, 2016 को नोटबंदी लागू होने तक देश में कुल कितनी बेरोजगारी थी, क्या सरकार की नोटबंदी के कारण बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने की कोई योजना है; और

(ख) कोविड-19 विश्ववयापी महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप देश में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): रोजगार और बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। 2019-20 तक का वार्षिक पीएलएफएस आंकड़ा उपलब्ध है। वार्षिक पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, देश में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर बेरोजगारी की दर क्रमशः 6.0%, 5.8% एवं 4.8 %थी।

भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेकों पहले की हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु **1** अक्तूबर, **2020** से प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, उन नए कर्मचारियों, जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, के लिए कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

01.04.2016 से नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से 15000/- रुपए तक कमाने वाले नए कर्मचारियों हेतु **3** वर्षों की अवधि हेतु नियोक्ता के अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लगातार लाभ प्राप्त होगा।

पीएम स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

*****